

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

प्रकरण संख्या :-46/24

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

पंजाब नेशनल बैंक
पावटा सी रोड, जोधपुर जरिये
प्राधिकृत अधिकारी श्री सुरज कुमार
चौहान

- मैसर्स महादेव सुपरमार्केट प्रोपराईटर
ओमप्रकाश पटेल पुत्र मादाराम
प्लाट न. 505 ए बीजेएस कॉलोनी,
हनवंत ए पावटा सी रोड जोधपुर
- मादाराम पुत्र जयरूप राम
गाव कटारडा पोस्ट भाण्डूकला,
तहसील कूणी, जिला जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक:-05.02.2025

1-विरेन्द्र सिंह इन्दा अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थीपक्ष की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण मैसर्स महादेव सुपरमार्केट प्रोपराईटर ओमप्रकाश पटेल पुत्र मादाराम व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 25,00,000/-केश क्रेडिट ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण मादाराम पुत्र जयरूप राम की जायदाद मकान प्लाट पट्टा न 33, मिसल न. 204/2017-18, बुक न 83 ग्राम कटारडा, तहसील लूणी जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 2630.56 वर्ग फीट, जिसके उत्तर में सालगराम पटेल की जायदाद, दक्षिण में गली, पूर्व में आईदान जी चारण का मकान, पश्चिम में गली/सालगराम पटेल की जायदाद आया हुआ, को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये

Page 1 of 2



जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 30.08.2024 तक 23,73,982.42/- भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 25,00,000/-केश क्रेडिट ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 30.08.2024 तक 23,73,982.42/- वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। (दी) सिविल रिट्टी इन्स्ट्रुमेंट्स (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद मादाराम पुत्र जयरूप राम की जायदाद मकान प्लाट पट्टा न 33, मिसल न. 204/2017-18, बुक न 83 ग्राम कटारडा, तहसील लूणी जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 2630.56 वर्ग फीट. जिसके उत्तर में सालगराम पटेल की जायदाद, दक्षिण में गली, पूर्व में आईदान जी चारण का मकान, पश्चिम में गली/सालगराम पटेल की जायदाद आया हुआ, का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

आदेश आज दिनांक 05.02.2025 को सुनाया गया।



जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)